भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1751
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019 को दिया जाएगा

अरहर दाल का आयात

1751. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री सैयद इम्तियाज जलील:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्याज और अरहर की दाल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर प्याज के ताजा निर्यात पर प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन हटा लिया है और अरहर की दाल का आयात दुगना कर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में उक्त वस्तुओं की मांग और आपूर्ति अंतर का वर्तमान ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उक्त वस्तुओं के आयात का विचार है तथा सरकार द्वारा वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): प्याज निर्यातकों के लाभ के लिए मर्केण्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडियन स्कीम (एम.ई.आई.एस.) दिनांक 11.06.2019 की अधिसूचना द्वारा वापस ले ली गई है। सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध के तहत तूर दाल पर आयात की सीमा 2 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) से बढ़ाकर 4 लाख मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया है।

(ख): कुल उपलब्धता के संबंध में ब्यौरे **अनुलग्नक** पर हैं।

(ग): आज की तारीख तक सरकार का प्रस्ताव तूर/प्याज का आयात करने का नहीं है। दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में शामिल हैं; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के माध्यम से दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए पहलें करना, और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रख्यापित करना। केन्द्र सरकार ने दालों के बफर स्टॉक का सृजन किया है। कीमतों में उतार-चढाव को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर इस बफर स्टॉक में से दालों का अंशांकित रिलीज किया जाता है। बफर स्टॉक की दालों का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मध्याह्न भोजन, समेकित बाल विकास सेवाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीमों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, तूर तथा अन्य दालों की

आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जुलाई, 2016 में मोजाम्बिक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त, दालों की उपलब्धता को समुचित ढंग से विनियमित करने के लिए समय-समय पर दालों से संबंधित व्यापार नीति में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं। सरकार, कीमतों में उतार-चढ़ाव आने पर समय से हस्तक्षेप करने के लिए दालों और प्याज की कीमतों पर पैनी नजर रखती है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) के अंतर्गत दिनांक 23.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 48,052 मीट्रिक टन प्याज के बफर स्टॉक का सृजन किया गया है ताकि मूल्यों को सामान्य बनाने के लिए उस मौसम में अंशांकित रिलीज किया जाए जब आवश्यकता कम हो। केन्द्र सरकार ने न लाभ न हानि आधार पर बफर स्टॉक से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्याज उपलब्ध कराने की पेशकश की है ताकि उपलबधता को बेहतर बनाया जा सके और कम उपयोग वाले मौसम में मूल्यों को सामान्य बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, मर्केण्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडियन स्कीम (एम.ई.आई.एस.) के अंतर्गत प्याज के निर्यात के संबंध में प्रोत्साहन दिनांक 11 जून, 2019 से वापस ले लिया गया है ताकि घरेलू उपलब्धता में सुधार किया जा सके और कीमतों को सामान्य बनाया जा सके।

****

अनुलग्नक

'अरहर दाल का आयात' के संबंध में दिनांक 02.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के भाग (ख) के संदर्भ में उल्लिखित विवरण

तूर और प्याज की उपलब्धता		
2018-19	**तूर**	**प्याज**
उत्पादन	**35 लाख मीट्रिक टन ***	**232.84 लाख मीट्रिक टन ^**
आयात	**5.30 लाख मीट्रिक टन**	**7.081 मीट्रिक टन**
निर्यात	**9,328 मीट्रिक टन**	**21.84 लाख मीट्रिक टन**
कुल उपलब्धता	**40.21 लाख मीट्रिक टन**	**21.11 लाख मीट्रिक टन**

* कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार

^ कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार

*****